**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2912**

**12.12.2016 को उत्तर के लिए**

**दिल्‍ली/राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर छाई धुंध का कारण**

**2912. डॉ. कनवर दीप सिंह :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या दिल्‍ली/राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर हाल ही में छाई धुंध के वास्‍तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं; और

(ग) इसके स्‍टीक कारणों का पता लगाए बिना हल किस प्रकार निकाला जा सकता है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) से (ग) दिल्‍ली/राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर हाल ही में छाई धुंध के लिए सड़क की धूल, वाहनीय उत्‍सर्जन, निर्माण और विध्‍वंस क्रियाकलाप, जनरेटर सेट, औद्योगिक उत्‍सर्जन, कूड़ा जलाने, ठूंठ जलाने, हाट मिक्‍स संयंत्र, ईंट भट्टे, पटाखे जलाने इत्‍यादि जैसे सहायक कारकों के अतिरिक्‍त कम तापमान, हवा की कम गति और लो-मिक्सिंग हाइट जैसी प्रतिकूल मौसमी स्थितियां जिम्‍मेदार हैं। राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार ने वर्ष 2015 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थान, कानपुर के ज़रिए 'दिल्‍ली में वायु प्रदूषण संबंधी व्‍यापक अध्‍ययन' कराया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के अंतर्गत राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्‍य सरकारों को व्‍यापक निदेश जारी किए हैं जिसमें वायु प्रदूषण संबंधी मामलों पर विचार किया जाता है।

\*\*\*\*\*